तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.12.18	सरकारी पेशकार उप. वकील अप्रार्थी उप. सरकारी पेशकार व वकील अप्रार्थी की बहस अन्तिम सुनी गई [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09-01-2019 को पेश हो। SDO Rohat
9.1.19	सरकारी पेशकार उप. वकील अप्रार्थी उप. आदेश पृथक लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मार्फत आदेश इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। उपखण्ड अधिकारी रोहट

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट) जिला पाली (राजस्थान)

बईजलास श्री अजय आर.ए.एस.

करण संख्या:-08/2010 (नया सीलिंग कानून)

ायल:-

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रोहट

बनाम

रसायल :-

1-मृत शैतानसिंह पुत्र पीरसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-पाती, तहसील-रोहट के विधिक वारिसान्

1/1-भूरकंवर पत्नि शैतानसिंह,

1/2-खंगारसिंह पुत्र शैतानसिंह,

1/3-लीलाकंवर पुत्री शैतानसिंह,

1/4-मनोहरसिंह पुत्र शैतानसिंह,

1/5-गोपालसिंह पुत्र शैतानसिंह,

1/6-सरदारसिंह पुत्र शैतानसिंह,

सभी जातिगण-राजपूत, निवासीगण पाती, तहसील-रोहट, जिला-पाली

उपस्थिति:- श्री नायब तहसीलदार रोहट,
श्री दौलत मकवाणा, अधिवक्ता गैरसायल

राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा-15 (1) के अन्तर्गत।

दिनांक 09-01-2019

: आदेश :

तहसील पाली से प्राप्त विवरण अनुसार गैरसायल के खाते मे सीलिंग सीमा के अधिक भूमि धारण करने से गैरसायल के विरुद्ध सीलिंग प्रकरण पत्रावली पेश हुई। गैरसायल के विरुद्ध सीलिंग अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को धारा-11 का नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह चारण ने दिनांक 30-12-1997 को वकालतनामा एवं जवाब हेतु अवसर चाहा तथा दिनांक 23-2-1998 को वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात् गैरसायल को डी.एस. 12 के तहत नोटिस जारी करने के आदेश पारित करगैरसायल को डी.एस. 12 के तहत नोटिस जारी किया ... ने जवाब प्रस्तुत किया।

Scanned by CamScanner